

कार्यालय: निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश संख्या: सेवायें-3(4)/

316

/2015-16 दिनांक 01 अक्टूबर 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985, उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना सं: 170/XXX(2)/2011 दिनांक 01 जून 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 एवं उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं: 599(1) XXIV-2/ 2012-6(3)/2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600) को वरिष्ठतानुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) वेतनमान रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4800 के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/संस्था में पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया जाता है। यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। यदि इस सम्बन्ध में कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हों तो यह पदोन्नतियां मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी। पदोन्नति पर न जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति पर अगले एक भर्ती वर्ष तक कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र0 सं0	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय/ विद्यालय	नवीन तैनाती/ पदोन्नत स्थल	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री रोशन लाल	रा.क.इ.का. कोटद्वार, पौड़ी	का.मु.शि.अ.पौड़ी.	रिक्त पद के प्रति
2	श्री अणसी प्रसाद थपलियाल	प्रा0शिक्षा निदेशालय, देहरादून	का.मु.शि.अ.नरेन्द्रनगर (टिहरी)	रिक्त पद के प्रति
3	श्री अतर लाल	का.ख.शि.अ.चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	का.मु.शि.अ. उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
4	श्री अवतार राम धीमान	रा.क.इ.का. ऋषिकेश, देहरादून	का.मु.शि.अ.हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती हेमलता जोशी	का.मु.शि.अ.नैनीताल	का.अ.नि. (प्रा.शि.)कु.म. नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
6	श्री दान सिंह बोरा	रा.इ.का. सेराघाट, पिथौरागढ़	का.मु.शि.अ. अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
7	श्री लोकमणी जोशी	का.ख.शि.अ.कनालीछीना, पिथौरागढ़	का.मु.शि.अ. चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
8	श्री बिजेन्द्र सिंह नेगी	का.उ.शि.अ. रायपुर देहरादून	का.मु.शि.अ.देहरादून	रिक्त पद के प्रति
9	श्री मोहन चन्द्र जोशी	का.ख.शि.अ. मुनाकोट पिथौरागढ़	जि.शि. एवं प्रशि.सं. अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती कलावती भाकुनी	का.ख.शि.अ.का. रामगढ़ नैनीताल	का.मु.शि.अ.भीमताल, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
11	श्री देवेन्द्र सिंह चौहान	का.ख.शि.अ.जसपुर, उ.सिं.न.	उ.वि.शि.प.रामनगर, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)

अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: सेवायें-3(4)/ 14209-73 /2015-16 तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त नियन्त्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, सम्बन्धित जनपद।
7. अपर निदेशक (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
8. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
9. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सम्बन्धित जनपद।
11. उप निदेशक, लेखा-स्थापना, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारी के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण आदेश तत्काल निदेशालय एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने नवीन पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कर्मी द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा आगामी 01 भर्ती वर्ष तक सम्बन्धित की पुनः पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर न जाना हो तो अपनी असहमति उचित माध्यम से प्रेषित करें।
14. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(राजेन्द्र सिंह रावत)

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

(अधीनस्थ अधिकारी)

सहायक निदेशक

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा